दिनांक 30 नवंबर 2020

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

सफाई के द्वितीय पाली के निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय करने एवं कचरा फैलाने वाले 12 दुकानदारों पर निगम ने लगाया जुर्माना

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत कचरा फैलाने वाले 12 दुकानों से निगम की टीम ने जुर्माना वसूल किया!

आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने गंदगी फैलाने वालों, डस्टबिन नहीं रखने वाले तथा प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है! इसी क्रम में जोन क्रमांक एक के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि की टीम ने द्वितीय पाली में संध्याकालीन दुकानों का निरीक्षण किया और गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना की कार्रवाई करते हुए अर्थदंड वसूल किया! जोन एक के स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना अपनी टीम के साथ वार्ड क्रमांक कोसानगर , जुनवानी और स्मृति नगर पहुंचे! इस दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं ग्लास का विक्रय करने पर आशीष जैन से 200 रुपए, दिनेश मेहता से 200 रुपए, निरंजन पांडे से 300 रुपए, ललित सिंह से 500 रुपए, गीता से 200 रुपए, सुब्रमण्यम से 1000 रुपए, रामेश्वर साहू से प्रतिबंधित डिस्पोजल तथा कचरा फैलाने पर 200 रुपए, लक्ष्मी कांत दुबे स्मृति नगर से 500 रुपए, महेश राव से 300 रुपए, राजू वर्मा जुनवानी से 200 रुपए, कैलाश भानकुटे से 500 रुपए तथा भारती सिंह से 200 रुपए का अर्थदंड वसूला गया! इस प्रकार कुल 4300 रुपए जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की गई! फास्ट फूड जैसे अधिकतर दुकाने संध्याकालीन होती है!

जनसंपर्क अधिकारी